

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur-302015, Rajasthan

Website: <http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/>

e-mail: jdacad1960@gmail.com Ph 0141-2706550

क्रमांक: एफ7(4)अकाद/आकाशि/Online/रिफ्रेशर/2021/69 दिनांक: 23 फरवरी, 2021

प्राचार्य,
संबंधित राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान ।

विषय:- ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने की अनुमति बाबत।

संदर्भ:- विभाग के पत्रांक एफ 7(4) यु.जी.सी./अकाद/आकाशि/2020/1265 दिनांक 02.11.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ऑनलाइन रिफ्रेशर कोर्स में भाग लेने हेतु निम्नलिखित सह/सहायक आचार्यों को अनुमति जारी की जाती है-

क्र.स.	नाम (सह/सहायक आचार्य) श्री/श्रीमती/ सुश्री/डॉ.	विषय	महाविद्यालय का नाम	कोर्स जिसमें भाग लेना चाहते हैं।	कोर्स की अवधि	संस्थान जहाँ से कोर्स किया जाना है।
1	संजय गोदारा	भौतिकशास्त्र	राज.महा.भीलवाडा	रिफ्रेशर	01.12.2020 से 31.03.2021 तक	SWAYAM पोर्टल पर
2	हेमलता टांक	ए.बी.एस.टी.	राज.महा.बून्दी	रिफ्रेशर	24.02.2021 से 09.03.2021 तक	पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़
3	सुबोध कुमार शर्मा	इतिहास	राज.महा.बनेड़ा भीलवाडा	रिफ्रेशर	01.12.2020 से 31.03.2021 तक	SWAYAM पोर्टल पर
4	अनुज कुमार	भूगोल	राज.कन्या महा.चूरु	रिफ्रेशर	11.03.2021 से 26.03.2021 तक	रामानुजन कॉलेज नई दिल्ली
5	प्रहलाद धाकड़	अर्थशास्त्र	राज.महा.खैरवाडा	रिफ्रेशर	01.03.2021 से 15.03.2021 तक	कुमायू विश्वविद्यालय, नैनीताल
6	सुनायाना सिंह	प्राणीशास्त्र	राज.महा.भरतपुर	रिफ्रेशर	16.03.2021 से 29.03.2021 तक	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय अमृतसर

उक्त कोर्स में भाग लेने के लिए सह/सहायक आचार्यों को अनुमति देने से पूर्व प्राचार्य निम्नलिखित निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित करें:-

1. प्राचार्य केवल उन सह/सहायक आचार्यों को कार्यमुक्त करें जिन्हें सी.ए.एस. के तहत कोर्स करना आवश्यक हो
2. संबंधित सह/सहायक आचार्यों ने यदि सी.ए.एस. के तहत वरिष्ठ/चयनित/पे-बैंड IV के लिये आवश्यक कोर्स कर रखे हैं तो वे प्राचार्य को लिखित में सूचित करें कि उन्हें कोर्स की आवश्यकता नहीं है। जो सह/सहायक आचार्य तथ्य छुपाकर कार्यमुक्त होंगे उनके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी। प्राचार्य द्वारा कार्यमुक्त किये गये सह/सहायक आचार्य द्वारा कोर्स में भाग नहीं लेने पर संबंधित सह/सहायक आचार्य के विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही के साथ-साथ उस तिथि के पश्चात एक वर्ष तक कोई अवसर प्रदान नहीं किया जावेगा। जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होगा।
3. वेबसाइट प्रभारी को अपलोड करने हेतु।

(डॉ. सौमित्र नाथ झा)
संयुक्त निदेशक(अकादमिक)